राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांकः एफ 5(2) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2015/6506-15 जयपुर, दिनांक 21.5.15

जिला कलेक्टर, (सहायता)
जैसलमेर (राज0)।

विषयः– अभाव संवत् 2071 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों के संचालन की स्वीकृति एवं दिशा–निर्देश।

सन्दर्भः– आपका पत्र कमांक 5172 दिनांक 11.05.2015 के कम में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क. एफ1 (1) (4) आ.प्र.सआ/सामान्य/2014/10908–44 दिनांक 19.10.2014 से आपके जिले को अभावग्रस्त घोषित किया गया था। यह अवधि 31.7.2015 तक प्रभावी रहेगी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि अभाव सम्वत 2071 के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों को अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव संचालित संस्था द्वारा निर्धारित शर्तों की पालना सुनिश्चित शपथ पत्र के साथ प्राप्त करने के पश्चात एवं दिशा निर्देशों की पालना मय आपकी टिप्पणी दिनांक **11.05.2015** के आधार पर स्वीकृति दी जा रही हैं। इसमें किसी तरह की अनियमितता एवं लापरवाही सामने आने पर दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सस्पेंशन आफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 के अन्तर्गत अभावग्रस्त गांवों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप असहाय/आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर संचालन करने हेतु **जारी दिनांक से 30 दिवस तक** पशु शिविरों के खोले जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है :–

क्र. सं.	तहसील	ग्राम पंचायत का नाम	पशु शिविर स्थल का नाम	संचालक संस्था का नाम	प्रस्तावित पशु संख्या		
					बड़े	छोटे	योग
1	भणियाणा	बलाड	बलाड	सरपंच, ग्राम पंचायत बलाड	180	20	200
2	भणियाणा	बलाड	रूपसर	सरपंच, ग्राम पंचायत बलाड	180	20	200
3	भणियाणा	बलाड	भीखोड़ाई नई	सरपंच, ग्राम पंचायत बलाड	180	20	200
4	भणियाणा	बलाड	खानपुरा	सरपंच, ग्राम पंचायत बलाड	180	20	200
5	भणियाणा	बलाड	मुकनसर	सरपंच, ग्राम पंचायत बलाड	180	20	200
6	भणियाणा	भीखोड़ाई जूनी	भीखोड़ाई जूनी	सरपंच, ग्राम पंचायत भीखोनाई जूनी	180	20	200
7	भणियाणा	भीखोड़ाई जूनी	बरसाणी	सरपंच, ग्राम पंचायत भीखोनाई जूनी	180	20	200
8	भणियाणा	भीखोड़ाई जूनी	गोरालिया गाला	सरपंच, ग्राम पंचायत भीखोनाई जूनी	180	20	200
9	भणियाणा	भीखोड़ाई जूनी	भाणुनगर	सरपंच, ग्राम पंचायत भीखोनाई जूनी	180	20	200
10	भणियाणा	भीखोड़ाई जूनी	मौलाना आजाद नगर	सरपंच, ग्राम पंचायत भीखोनाई जूनी	180	20	200
11	भणियाणा	रातडिया	रातड़िया	सरपंच, ग्राम पंचायत रातडिया	180	20	200
12	भणियाणा	रातडिया	बागथल	सरपंच, ग्राम पंचायत रातडिया	180	20	200
13	भणियाणा	दांतल	जीयासर	सरपंच, ग्राम पंचायत दांतल	180	20	200

14	भणियाणा	दांतल	झलोडा भाटियान झलोड़ा हेमावास	सरपंच, ग्राम पंचायत दांतल	180	20	200
15	भणियाणा	दांतल	खेतासर	सरपंच, ग्राम पंचायत दांतल	180	20	200
16	भणियाणा	दांतल	सांगाबेरा, भूरासर	सरपंच, ग्राम पंचायत दांतल	180	20	200
17	भणियाणा	दांतल	दांतल	सरपंच, ग्राम पंचायत दांतल	180	20	200
18	भणियाणा	दांतल	गड़ेली कुंआ	सरपंच, ग्राम पंचायत दांतल	180	20	200
				योग :–	3160	340	3500

विभागीय पत्र क्रमांक 4180–203 दिनांक 06.04.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पशु शिविर संचालन करने की कार्यवाही करें:–

1. अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविरों का संचालन भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक 32–3/2013–NDM-I दिनांक 28.11.2013 के संशोधित SDRF/NDRF मानदण्डो के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. पशु शिविर का संचालन राजकीय संस्था, पंचायतीराज संस्था या स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाया जावे एवं साथ ही ऐसे शिविरों में बेसहारा तथा लावारिस पशुओं को संधारित किया जावे।
3. गत वर्षो में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पशु पालको के दुधारू पशुओं को भी पशु शिविर में दाखिल कर लिया जाता है तथा पशुपालक दिन में पशुओं को चराई की सुविधा हेतु शिविरों में छोड़ देते है एवं सुबह –शाम पशुओं को लेकर जाते है। अतः इस सन्दर्भ में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है:–

(i) किसी भी शिविर में दुधारू पशु को नहीं रखा जाए।

(ii) पशु शिविर उन्हीं संस्थाओं को स्वीकृत किये जाए जिनके पास पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, पानी, इत्यादि की समुचित व्यवस्था हो।

(iii) यदि पशुपालको द्वारा अपने पशुओं को शिविरों में दाखिल किया जाता है तो पशु पालक को पशु का मालिकाना हक छोड़ना होगा।

(iv) पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 50/– रूपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 25/–रूपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

(v) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु–आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसी स्थिति में 11/– रूपये बड़े पशु तथा 5.50/– रू. प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से अनुदान राशि में से काटी जाकर शेष अनुदान राशि का भुगतान संस्था को किया जाए।

(vi) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी। अन्य किसी संस्था द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में पशु आहार राशि की कटौति सुनिश्चित की जाए।

(vii) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे जा रहे रजिस्टरों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।

(viii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में अधिकतम पशु सीमा 200 से अधिक न हो तथा 15 दिवस की अवधि में कम से कम 100 पशु होने की स्थिति में ही शिविर संचालक को अनुदान राशि का भुगतान किया जाए।

4. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाए:–